प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.09.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सदोष मानव वध के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.छोटू पुत्र सुरेन्दर 2.ननकी 3.कलसीनाथ द्वारा वादी के पुत्र विनोद शर्मा उम्र करीब 36 वर्ष के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा करना, सिर पर ईट मारकर घायल कर देना। इलाज ना कराने के कारण उसकी मृत्यु हो जाना व साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को कीचड़ में फेक देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 105, 238 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. कलसीनाथ उर्फ फकीरा राम 2.छोटू कामत पुत्र सुरेंद्र कामत को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि नसीब विहार कॉलोनी में छोटू के भाई रंजीत का मकान है, उस मकान में छोटू, ननकी तथा विनोद एक साथ रहते थे। कलशीनाथ उर्फ फकीरा ने रक्षा बंधन से एक दिन पहले विनोद के साथ शराब पी थी। शराब के नशे में विनोद ने कलशीनाथ उर्फ फकीरा को गाली दे दी थी तो कलशीनाथ ने विनोद के साथ मारपीट कर दी थी और विनोद ने वहा रखी एक ईट उठाकर कलशीनाथ उर्फ फकीरा के पैर में मार दी थी फिर कलशीनाथ ने भी पडी हुई एक ईट उठाकर विनोद के सिर पर मार दी थी। जिससे विनोद का सिर फट गया और विनोद वही पर गिर गया था तो कलशीनाथ उर्फ फकीरा ने उस ईट को वही रोड पर भरे पानी मे फेंक दिया था। विनोद वहाँ से उठकर छोटू के पास पहुँचा तो उसका सिर फटा हुआ था, छोटू ने दवाई दिलवाने को कहा तो विनोद ने मना कर दिया था। जब छोटू शाम को अपने भाई के मकान पर आया तो देखा कि विनोद शांत पडा हुआ है, छोटू ने उसे हिलाया डुलाया तो उसके शरीर में कोई हरकत नही हो रही थी उसका शरीर अकडा गया था और उसके सिर से बदबू आ रही थी तो छोटू ने ननकी को फोन करके बुलाया और रात में करीब 10.30 बजे छोटू व ननकी ने विनोद के शव को शुभम धर्म काटे के

सामने कीचड गडढे में छिपाने के उद्देश्य से फेंक दिया था और अपने अपने घर चले गये थे तथा खून लगे कपडों को छोटू व ननकी ने धो दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. कलशीनाथ उर्फ फकीरा राम पुत्र बैद्यनाथ निवासी ग्राम- न्यूडि थाना- अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता पानी के प्लांट के पास चौहान पट्टी थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष।

2. छोटू कामत पुत्र सुरेंद्र कामत ग्राम महेशी सतर वार टोला थाना महेशी जिला सहरसा बिहार हाल पता कच्ची बस्ती चौहान पट्टी थाना सोनिया विहार, उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 01 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 21.09.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त साकिब पुत्र बाबुद्दीन को अवैध गांजा के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पुल के नीचे रेलवे लाइन के किनारे थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और मेरा दोस्त सोनू यादव पुत्र रणपाल द्वारा यह गांजा दिल्ली से मंगाया जाता है। जिसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर हम राह चलते लोगों को बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

साकिब पुत्र बाबुद्दीन निवासी छोटी मस्जिद के पास ननकागढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू यादव पुत्र रणपाल निवासी प्रधानपुरम थाना मसूरी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

कुल 01 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 प्लास , 01 बडा कटर, 01 छोटा कटर, 01 आरी का ब्लेड , 01 पेंचकस व 02 बोरी में कटे हुये बिजली के तार करीब 09 किलो 500 ग्राम बरामद।

दिनांक 04.08.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व वादी के पड़ोसियों के ट्यूबवेलों का ताला तोड़कर प्रत्येक ट्यूबवेल से स्टार्टर, केबल, कटआउट आदि उपकरणो की चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. सलमान 2. जुबैर 3. फारुख 4. गुफरान 5.फिरोज उर्फ भूरे को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 प्लास, 01 बडा कटर, 01 छोटा कटर, 01 आरी का ब्लेड, 01 पेंचकस व 02 बोरी में कटे हुये बिजली के तार करीब 09 किलो 500 ग्राम बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2), 3(5) बीएनएसस की वृद्धि की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी मिलकर रात में खेतों पर सुनसान ट्यूबवेलों से स्टार्टर , केबल, कटआउट आदि उपकरणों की चोरी करते हैं। हमने कुछ दिन पहले ग्राम नेकपुर के जंगलों से सुनसान पडी 10 ट्यूबवेलों से स्टार्टर, केबल, कटआउट आदि उपकरण चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सलमान पुत्र फरीमुद्दीन निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. जुबैर पुत्र इरफान निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
3. फारुख पुत्र इकबाल निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।
4. गुफरान पुत्र भूरे निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।
5. फिरोज उर्फ भूरे पुत्र मुन्सफ निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

02 प्लास, 01 बडा कटर, 01 छोटा कटर, 01 आरी का ब्लेड, 01 पेंचकस व 02 बोरी में कटे हुये बिजली के तार करीब 09 किलो 500 ग्राम बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त चोरी की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त फिरोज उर्फ भूरे पुत्र मुन्सफ के विरूद्ध चोरी के संबंध में 04 अन्य अभियोग थाना मुरादनगर में पंजीकृत हैं । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई 07 वर्ष के कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 21.09.2026 को थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 498ए/306 भादवि में अभियुक्तगण 1- मोहित त्रिपाठी पुत्र श्रीप्रकाश त्रिपाठी 2- विमला त्रिपाठी पत्नी श्रीप्रकाश त्रिपाठी निवासी गण प्लाट सं0- ए, 150 फ्लैट न0- बी-02 एक्सटेंन्सन-01 शालीमार गार्डन, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 07, गाजियाबाद द्वारा धारा- 498ए भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 306 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद श्रीमती आलोक दुबे द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। ‘कन्विक्शन सेल’ से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री रवि शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभि0गण द्वारा वादी की पुत्री को उसके ससुरालीजन द्वारा प्रताडित करने से तंग आकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना साहिबाबाद पर दिनांक 01.04.2021 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गोकशी की घटना कारित करने की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 छुरा, 01 गडासा, 01 लकडी का गट्टा, 02 खाली कट्टे व 02 रस्सी बरामद।

आज दिनांक 21.09.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गोकशी की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्तों 1.सलमान

पुत्र सलीम 2. सोनू उर्फ खिजर अली पुत्र अमजद अली 3. वसीम पुत्र सलीम 4. जाहिद पुत्र मो0 उमर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 04 छुरा व गोकशी के उपकरण 01 गडासा, 01 लकडी का गट्टा, 02 खाली कट्टे व 02 रस्सी बरामद हुई। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मसूरी पर धारा-312/313/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम चारों लोग आपस में दोस्त है तथा जंगल में रेकी करके आवारा घूम रहे पशुओं को मौका पाकर काटकर उसके मीट को चोरी छुपे बेच देते है आज रात्रि में हम चारो लोग योजना बनाकर नाहल मसूरी के जंगल में गोकशी करने के लिये गये थे और आपस में बैठकर योजना बना रहे थे किसी मुखबिर ने हमारी मुखबिर करके पकडवा दिया था जिसके कारण गोकशी नही कर सके थे लेकिन हमारे पास से गौकशी करने से सम्बन्धित सामान बरामद हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.सलमान पुत्र सलीम निवासी पीर का मोहल्ला एक मीनार मस्जिद थाना गुलाबटी बुलन्दशहर, उम्र करीब 36 वर्ष।

2.सोनू उर्फ खिजर अली पुत्र अजमत अली निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

3.वसीम पुत्र सलीम निवासी मौ० खाकियान ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद हाल पता इस्लाम नगर सिहानी गेट गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष

4.जाहिद पुत्र मो० उमर निवासी मदीना मस्जिद के पास ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 04 छुरा, 01 गडासा, 01 लकडी का गट्टा, 02 खाली कट्टे व 02 रस्सी बरामद

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा गाजियाबाद के अन्य थानों पर अभियुक्त जाहिद पर लूट, चोरी व गोकशी से संबंधित 10 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त सलमान पर लूट व चोरी के 06 अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त वसीम पर लूट व चोरी के 07 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

ट्रैफिक एडवाइजरी
(गंगनहर मुरादनगर पर गणेश मूर्ति विसर्जन हेतु डायवर्जन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक **23** सितम्बर **2026** प्रातः **09:00** बजे से लेकर **26** सितम्बर **2026** प्रातः **09:00** बजे तक गंग नहर, मुरादनगर में भव्य एवं विशाल गणेश मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होना निश्चित है। उक्त कार्यक्रम के दौरान जनसमुदाय एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा एक विशेष एवं व्यापक रोड डायवर्जन प्लान लागू किया जाना है। उल्लिखित समय अवधि (**23** सितम्बर **2026** प्रातः **09:00** बजे से **26** सितम्बर **2026** प्रातः **09:00** बजे तक) में विभिन्न मार्गों पर वाहनों का आवागमन निम्नानुसार पूर्णतः परिवर्तित एवं प्रतिबंधित रहेगा:**-**

— विस्तृत यातायात डायवर्जन योजना —

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) **— पलवल की ओर से:**

- पलवल की ओर से आकर दुहाई उतार (एग्जिट) से मेरठ की तरफ जाने वाले सभी भारी कमर्शियल व्यावसायिक **(**ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक,डीसीएम, बस आदि**)** वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त सभी वाहन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (**DME)** का प्रयोग करते हुए मोदीनगर/मेरठ की ओर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) **— कुंडली की ओर से:**

- कुंडली की तरफ से आकर दुहाई उतार (कट) से मेरठ की ओर जाने वाले सभी भारी कमर्शियल व्यावसायिक **(**ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक,डीसीएम, बस आदि**)** वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (**DME)** का उपयोग कर मोदीनगर/मेरठ की ओर प्रस्थान करेंगे।

कादराबाद बॉर्डर (मेरठ) की ओर से मुरादनगर गंग नहर मार्ग:

- कादराबाद बॉर्डर (मेरठ) की ओर से मुरादनगर गंग नहर की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन एवं हल्के कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन राज चौपला से भोजपुर/हापुड़ या **DME** होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

जानी बॉर्डर (मेरठ) की ओर से आने वाले भारी वाहन:-

- जानी बॉर्डर (मेरठ) की दिशा से आने वाले समस्त भारी वाहन (जैसे ट्रोला, ट्रैक्टर, कैंटर, ट्रक आदि) निवाड़ी से राज चौपला होते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।

मुरादनगर से गंग नहर की ओर जाने वाले वाहन:-

- मुरादनगर से गंग नहर की तरफ जाने वाले मध्यम व्यावसायिक वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ये सभी वाहन मुरादनगर से रावली रोड से चुंगी नंबर **3** होते हुए पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग कर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

गाजियाबाद की ओर से आने वाले भारी वाहन:-

- गाजियाबाद की ओर से मुरादनगर, मोदीनगर एवं मेरठ की तरफ जाने वाले समस्त भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ये वाहन हापुड़ होते हुए या ईस्टर्न पैरफिरेल एक्सप्रेस-वे (**EPE) /** दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (**DME)** का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

अपील:-

यातायात पुलिस गाजियाबाद समस्त नागरिकों, ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहन चालकों से अपील करती है कि वे असुविधा से बचने हेतु उपर्युक्त डायवर्जन प्लान का अक्षरशः पालन करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर विधि अनुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।